न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारीः—पीयूष समारिया, I.A.S.

प्रकरण संख्या —92/2025 (अपील)

GCMS No.- 2025/143

1. श्रीमति रेखा उर्फ राम रेखा बाई पत्नी श्री विष्णु प्रसाद
2. श्री विष्णु उर्फ विष्णु प्रसाद पुत्र स्वर्गीय श्री ग्यारसी लाल निवासीगण गौड साहब क्लीनिक के पीछे हनुमान मंदिन के पास बल्लभबाडी कोटा राज0

—अपीलाण्ट.

बनाम

1. धनराज बसवाल पुत्र विष्णु प्रसाद
2. पिंकी पत्नी धनराज बसवाल
   निवासीगण गौड साहब क्लीनिक के पीछे हनुमान मंदिर के पास बल्लभबाडी कोटा राज0

—रेस्पोडेन्ट.

अपील अन्तर्गत धारा 16(1) माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम 2007 विरूद्व आदेश दिनांक 27.06.2025 मि0नं0 105/2024 उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट कोटा

उपस्थितः—

1. अपीलांटगण स्वयं
2. श्री विरेन्द्र सिंह सोनी अभिभाषक रेस्पोडेन्ट नं0 1 व 2

निर्णय

दिनांक— 06.01.2026

1. प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अधीनस्थ ट्रिब्यूनल न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट कोटा द्वारा प्रार्थी अपीलांट के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के पेश किया जाने पर प्रस्तुत प्रार्थना पर दिनांक 27.06.2025 को आदेश पारित किया है कि—" प्रार्थीगण द्वारा पूर्व में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में कार्यवाही करते हुये उभयपक्षकारान को सुनवई का अवसर प्रदान करते हुये न्यायालय द्वारा दोनों पक्षकारों की बहस सुनने के उपरान्त गुणावगुण के आधार पर दिनांक 14.10.2024 को प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार करते हुये निर्णय पारित कर अप्रार्थीगण को प्रार्थीगण के साथ मारपीट ना करने, उक्त मकान से प्रार्थीगणो नहीं निकालने, शांतिपूर्वक निवास करने एवं प्रार्थीगण के भरण पोषण, ईलाज की आवश्यकतानुसार व्यवस्था करने हेतु पाबंद करते हुये प्रकरण का निस्तारण कर दिया परन्तु प्रार्थीगण द्वारा पुनः उन्हीं तथ्यों के आधार पर अप्रार्थीगण की बेदखली हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है । यदि न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.10.2024 से प्रार्थीगण सन्तुष्ट नहीं थे तो उस स्थिति में प्रार्थीगण को माननीय न्यायालय जिला कलेक्टर कोटा के यहां अपील पेश करनी चाहिये थी, प्रार्थीगण द्वारा उन्हीं तथ्यों को आधार बनाते हुए पुनः यह प्रार्थना पत्र पेश किया है जो किं खारिज होने योग्य है । अतः प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत वरिष्ठ नागरिकां एवं माता पिता का भरण पोषण अधिनियम अस्वीकार कर खारिज किया जाता है ।
3. अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 27.06.2025 की अप्रसन्नता में यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 23.09.2025 को पेश की गई है कि अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 27.6.2025 को पत्रावली का पूर्ण अवलोकन किये बिना एवं दस्तावेजी साक्ष्य, पुलिस रिपोर्ट, पुलिस इस्तगासा विरूद्व रेस्पोडेन्ट्स को नजर अंदाज करते आक्षेपित आदेश दिनांक 27.6.2025 पारित किया जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश की है ।

अधीनस्थ न्यायालय के पारित आक्षेपित आदेश अपास्त किये जाने योग्य है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय लिखते समय हमेशा रेष्यो तय किया जाता है और रेष्यो के आधार पर निर्णय पारित किया जाता है । जबकि अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को पढने से यह परिलक्षित होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय लिखने में त्रुटि की है इस कारण आक्षेपित आदेश आदेश दिनांक 27.6.2025 अपास्त किये जाने योग्य है ।

4. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट की जरिये सम्मन तलबी की गई । रेस्पोडेन्ट नं0 1 व 2 की ओर से श्री विरेन्द्र सिंह सोनी अभिभाषक का वकालतनामा पेश हुआ । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । पक्षकारान एवं विद्वान अभिभाषकगण उपस्थित । उभय पक्ष की बहस सुनी ।

5. अपीलांट ने लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थीगण अपीलांट वृद्व सीनियर सिटीजन है जिनके तीन पुत्रियां व एक पुत्र है, प्रार्थीगण अपीलांट अपने द्वारा खरीदशुदा मालिकाना अधिकार के स्वयं द्वारा निर्मित मकान के मालिक काबिज है एवं अपीलांट को अपने शरीर व सम्पत्ति की सुरक्षा करने का कानूनन अधिकार प्राप्त है । क्योंकि अपीलांट को यह पूर्ण विश्वास है कि कोई उनकी मदद करे या ना करें माननीय न्यायालय उनकी इस वृद्वावस्था की स्थिति में उनके पुत्र व पुत्रवधु अप्रार्थीगण द्वारा किये जा रहे अत्याचार कूरता से उनकी मदद जरूर करेगा । प्रार्थीगण अपीलांट ने उक्त मकान वाके गौड साहब क्लिनिक के पीछे हनुमान मंदिर के पास बल्लभबाडी कोटा को अपनी स्वयं की आय से क्रय किया और क्रय करने के पश्चात उसमें कन्स्ट्रक्शन आदि का कार्य भी अपीलांट ने ही करवाया । जिसमें ग्राउण्ड फ्लोर पर दो कमरे, लेटबाथ और प्रथम तल पर एक हॉल एक लेटरिन बनी हुई है जिसका वह भी प्रार्थीगण अपीलांट रेखा पत्नी विष्णु के द्वारा नगर निगम कोटा उत्तर द्वारा किया हुआ है जिसका यह क्रमांक 5314 दिनांक 27.4.2023 है । अपीलांट उक्त सम्पत्ति के मालिक व स्वामित्व रखते है । अपीलांट की तीन पुत्रीयों का विवाह हो चुका है विवाह के पश्चात अप्रार्थीगण, प्रार्थीगण अपीलांट के साथ बुरा बर्ताव करने लगे और प्रार्थीगण अपीलांट के स्वामित्व सम्पत्ति को हडपने की नियत रखने लग गये उन्होने सोचा बेटियों का विवाह तो हो चुका है अब ये बूढे अकेले है कोई नहीं है इनका बचाव करने वाला इसी आशय से अप्रार्थीगण धनराज व उसकी पत्नी पिंकी वृद्व माता पिता पर अत्याचार करने लग गये उनके साथ कूरतापूर्ण व्यवहार करने लग गये । अप्रार्थीगण धनराज और पिंकी मकान को लेकर आये दिन लडाई झगडा करते उनके साथ दुर्व्यवहार करते, उन्हें नाजायज तंग व परेशान करते और मकान उनके नाम करने का नाजायज दबाव बनाते रहते है । अप्रार्थी की पत्नी का भी व्यवहार हमेशा अपीलांटगण के प्रति कूरतापूर्ण रहता है । प्रार्थीगण अपीलांट पर अप्रार्थीगण मकान उनके नाम करने का दबाव बनाते है । अप्रार्थी क्रम 1 अपनी वृद्व माता को बाल पकडकर मारता है, अप्रार्थी क्रम 2 भी अपीलांटगण के साथ मारपीट करती है मकान नाम करने की दबाव डालती है तथा नहीं करने पर झूंठे केसों में फंसाने की धमकी देती है । कहती है कि "तुमने मकान हमारे नाम नहीं किया तो जहर देकर मार देने की धमकी देती है जैल में भिजवाकर बुढापा खराब करने की धमकी देती है । प्रार्थीगण अपीलांट, अप्रार्थीगण के उक्त कृत्य से काफी शारीरिक व मानसिक पीडा झेलते है बुढापे की इस स्थिति में काफी तनाव व डिफप्रेशन में रहत है प्रार्थी क्रम 2, 74 वर्षीय वृद्व है जिसकी सेवा भी उसकी पत्नी प्रार्थीया क्रम 1 द्वारा ही की जाती है । अप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार की दवाई वगैरह से खर्चे से खाना खुराक से कोई सहयोग नहीं किया जाता है बल्कि अप्रार्थीगण यह सोचकर अत्याचार करते है कि कैसे भी बूढे मरे और कब हम इस सम्पत्ति के मालिक हो जायें । प्रार्थीगण अपीलांट के द्वारा अप्रार्थीगण द्वारा किये अत्याचार कूरतापूर्ण व्यवहार की शिकायत पुलिस में की गई थी परन्तु पुलिस ने कार्यवाही नहीं की जबकि पुलिस वृद्व दम्पत्ति को समझाकर भेज देती है कि उनकी रिपोर्ट पर कार्यवाही कर दी गई । अनपढ और वृद्व दम्पत्ति पुलिस का विश्वास कर लेते । इसी क्रम में प्रार्थीगण अपीलांट ने अपने इस कलयुगी अत्याचारी बेटे बहु के खिलाफ पूर्व में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के समक्ष इन्हें निष्कासित कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया था जिसके निर्णय करते समय भी अप्रार्थीगण को पाबन्द किया था परन्तु माननीय न्यायालय के आदेश की अवहेलना

करते हुए पुनः प्रार्थीगण अपीलांट के उपर अत्याचार क्रूरतापूर्ण व्यवहार मारपीट करना परेशान तंग करना शुरू कर दिया । इसकी लिखित रिपोर्ट प्रार्थीगण अपीलांट ने थाने में की परन्तु थाना गुमानपुरा द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जाती है । पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जाने पर प्रार्थीगण अपीलांट के द्वारा दिनांक 10.01.2025 को पुलिस अधीक्षक कोटा के यहां शिकायत रिपोर्ट पर कार्यवाही करने हेतु रिपोर्ट पेश की जिसके पश्चात पुलिस थाना गुमानपुरा द्वारा प्रकरण संख्या 310/2025 दिनांक 5.3. 2025 को पुलिस द्वारा इस्तगासा न्यायालय सहायक कलेक्टर (मुख्यालय) के समक्ष पेश किया गया जिस पर अप्रार्थीगण धनराज बसवाल व पिंकी की जमानत और छः माह के लिये पाबन्द किये जाने के आदेश दिये गये । दोनों अप्रार्थीगण अभी जमानत पर है । माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 का उद्देश्य भी बुर्जुग दम्पत्ति वरिष्ठ नागरिकों को सुरक्षा सहायता प्रदान करना है । भारतीय संविधान के अनुसार भी बुजुर्गो के अधिकार और कल्याण की बात करता है उन्हें सुरक्षा प्रदान करता है । अपीलांटगण बुर्जुग है उन्हें भी सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार प्राप्त है और उनकी सम्पत्ति पर अतिक्रमण करने का हडपने का किसी को अधिकार नहीं है । प्रार्थीगण अप्रार्थीगण को अपनी स्वअर्जित सम्पत्ति से हटाना चाहते है बेदखल करना चाहते है उन्हें रखना चाहते है । अपीलांट को यह अधिकार प्राप्त है कि वह अपनी सम्पत्ति और शरीर की रक्षा करें । इस सम्बन्ध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय द्वारा भी बुर्जुगों को इस अधिनियम के तहत संरक्षण प्रदान किया गया है इस सम्बन्ध में सर्वोच्च न्यायालय का न्यायिक दृष्टान्त है "एस पार्वती बनाम मलेश्वरी 2023" में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि वरिष्ठ नागरिक अपने बेटे व बहु को अपनी सम्पत्ति से बेदखल कर सकते है यदि वह उनके साथ दुर्व्यवहार करते है या उनकी देख भाल नहीं करते है । "सुनी बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन 1980" इस मामल में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना राज्य का कर्तव्य है । "विनोद कुमार बनाम राज्य 2012" इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि बेटा बहु द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के साथ मारपीट करना, अत्याचार करना, गंभीर अपराध माना है जिसके कारण उन्हें बेदखल किया जा सकता है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अप्रार्थीगण धनराज बसवाल व उसकी पत्नी पिंकी को प्रार्थीगण अपीलांट की स्वअर्जित मालिकाना अधिकार की सम्पत्ति वाके गौड साहब क्लिनिक के पीछे हनुमान मंदिर के पास बल्लभबाडी, से हटाये जाने /निष्कासित किये जाने, बेदखल किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें । साथ ही अप्रार्थीगण को पाबन्द भी किया जावें कि अपीलांटगण के साथ मारपीट नहीं करें उन्हें अपने मकान में शांति से बुढापे का जीवन जीने दें कोई बाधा नातो स्वयं करें ना ही किसी अन्य से करावें ।

6. वकील रेस्पोडेन्ट नं0 1 व 2 धनराज बसवाल व पिंकी की ओर से क्रॉस ऑब्जेक्शन अपील के विरूद्व एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया है अप्रार्थीगण अपीलांट ने योग्य अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा के समक्ष एक प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि अप्रार्थी नं0 1 वर्तमान में 65 वर्षीय वरिष्ठ नागरिक एवं वृद्व दम्पत्ति है । प्रार्थीगण पुत्र–पुत्रवधू है इनके अलावा तीन पुत्रियां है जो कि विवाह होने के बाद ससुराल में निवास कर रही है । प्रार्थीगण पुत्र धनराज बसवाल जो कि अप्रार्थीगण के मकान में निवास करता है अप्रार्थीगण ने मकान को अपनी स्वअर्जित आय से खरीद किया है , अप्रार्थीगण ग्राउण्ड फ्लोर पर निवास करते है और प्रार्थीगण प्रथम मंजिल पर स्थित कमरें में निवास करते है तथा प्रार्थीगण अप्रार्थीगण से आये दिन लडाई झगडा व दुर्व्यवहार करते है इसलिए प्रार्थीगण को अलग रहने के लिए कहा किन्तु प्रार्थीगण मकान को अपने नाम से करने हेतु कहते है जिसमें प्रार्थीगण धमकी देते है कि तुम्हें जहर देकर मार देंगे इत्यादि कथन आलेखित करते हुए प्रार्थीगण को मकान से निष्कासित किये जाने एवं सम्पत्ति की सुरक्षा निरन्तर रखते हुए इस बाबत समुचित आदेश प्रार्थीगण के विरूद्व चाहे गये । प्रार्थना पत्र दर्ज रजिसटर होने के उपरान्त प्रार्थीगण को तलब किया गया , प्रार्थीगण ने उनके उपर लगाये गये आरोपों को असत्य एवं निराधार होना बताया गया तथा प्रार्थीगण ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में आलेखित किया कि प्रार्थीगण विवादित मकान की प्रथम मंजिल पर स्थित कमरे में निवास करते है तथा अप्रार्थीगण ने उक्त कमरे को अपने खर्चे से

बनवाया है तथा प्रार्थीगण अप्रार्थीगण का पूर्ण सहयोग करते है किसी प्रकार का लडाई झगंडा नहीं करते है और शांतिपूर्ण तरीके से मकान में स्थित एक कमरे में अपने छोटे छोटे बच्चों सहित निवास करते है तथा अप्रार्थीगण को उनकी लड़कियों ने भडका रखा है तथा प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण से कभी झगडा नहीं किया तथा प्रार्थी नं0 1 धनराज बसवाल ठेकेदार के यहां सहायक कर्मचारी के रूप में कार्य करता है जिससे उसे 6000/– प्रतिमाह वेतन प्राप्त होता है तथाप्रार्थी की आर्थिक स्थिति अत्यधिक कमजोर है, प्रार्थीगण को बिना वजह से ही परेशान किया जा रहा है तथा प्रार्थीण ने अप्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने का निवेदन किया ।इसके अतिरिक्त प्रार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय को अवगत कराया कि अप्रार्थीगण ने पूर्व में इन्हीं तथ्यों के आधार पर एक प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया था जिसका निर्णय दिनांक 14.10.2024 को किया जा चुका है तथा अप्रार्थीगण ने उन्हीं तथ्यों पर हस्तगत प्रकरण पेश कर दिया गया है जबकि अप्रार्थीगण का कोई नया मामला नहीं बनता है अप्रार्थीगण व प्रार्थीगण की बहस सुनने के उपरान्त गुणावगुण के आधार पर अप्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र पुनः दिनांक 27.6.2025 को खारिज फरमा दिया गया । योग्य अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा के निर्णय दिनांक 27.6.2025 के विरूद्व अप्रार्थीगण अपीलांट ने व्यथित होकर अपील पेश की है तथा अपील में अप्रार्थीगण ने वास्तवित तथ्यों को छिपाया है, इस कारण से प्रार्थीगण निम्न आधार पर क्रॉस ऑब्जेक्शन /प्रारम्भिक आपत्ति पेश करते है जो निम्न है–

- योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं विधि के सिद्वांतों के अनुसार अप्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र का उचित रूप से निस्तारण करते हुए खारिज फरमा दिया गया, क्योंकि अप्रार्थीगण ने पहले भी प्रार्थना पत्र पेश किया जिसे योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 24.10.2024 को निस्तारित कर दिया गया तथा अप्रार्थीगण ने दूसरा प्रकरण उन्हीं तथ्यों के आधार पर पुनः प्रस्तुत कर दिया जो कि चलने योग्य नहीं था और जिसे योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 27.6.2025 को खारिज फरमा दिया गया ।
- योग्य अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 27.6.2025 के विरूद्व माननीय न्यायालय में अपील पेश की है जो कि विचारण योग्य नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है, क्योंकि प्रकरण के तथ्य पहले से ही दिनांक 24.10.2024 को निस्तारित हो चुके है और अप्रार्थीगण द्वारा दूसरा आवेदन पत्र संख्या 2024/414 उन्हीं तथ्यों के आधार पर पेश कर दिया गया, जिसका भी निर्णय दिनांक 27 जून 2025 को पारित किया जा चुका है तथा उक्त कारण से अपील प्रारम्भिक स्तर पर ही खारिज किये जाने योग्य है ।
- सिविल प्रकिया संहिता में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार अप्रार्थीगण द्वारा की गयी योग्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कार्यवाही रेस ज्यूडिकेटा अन्तर्गत धारा 11 सी.पी. सी. के अनुसार कानून के विपरीत है, यदि कोई प्रकरण एक बार न्यायालय अथवा किसी सक्षम अधिकारी द्वारा गुणावगुण के आधार पर प्रकरण का निपटारा कर दिया गया है तो उन्हीं तथ्यों के आधार पर वही पक्षकार फिर से न्यायालय के समक्ष उन्हीं आधारों को लेकर प्रकरण को प्रस्तुत नहीं कर सकते है तथा माननीय न्यायालय में प्रस्तुत अपील कानून के
- विरूद्व होने से खारिज किये जाने योग्य है । अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों को स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण अपीलांट की अपील सव्यय खारिज फरमाई जावें ।

7. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अपीलांट द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 27.06.2025 के विरूद्व दिनांक 23.09.2025 को पेश की गई है, जो निर्धारित अवधि 60 दिवस की मियाद में नहीं है । किन्तु विलम्ब से अपील प्रस्तुत करने के सम्बन्ध लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत तर्क दिया है कि प्रार्थी के विरूद्व माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट कोटा ने दिनांक 27.6.2025 को प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारिज फरमा दिया था जिसकी जानकारी होने पर दिनांक 7.7.2025

2025 को नकल प्राप्त करने तथा इसी दौरान प्रार्थीया का टायफायड होने से व अत्यधिक वायरल होने के कारण प्रार्थीया बीमार थी इसलिये अपने अधिवक्त से संपर्क नहीं कर सकी और जैसे ही प्रार्थीया स्वस्थ होकर अपने अधिवक्ता से मिली तब अधिवक्ता द्वारा अपील पेश की है । अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को माफ करने का निवेदन किया । अपील प्रस्तुत करने हुए विलम्ब के लिए बताये गये बिमारी के कारणों के सम्बन्ध में अपीलांट की ओर से कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये है किन्तु धारा 5 के प्रार्थना पत्र का रेस्पोडेन्ट ने कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया है ओर ना ही धारा 5 में बताये गये बिन्दुओं का खण्डन किया है । इस हेतु प्रस्तुत अपील को तकनीकी आधार मियाद के बिन्दु पर खारिज न करके गुणावगुण के आधार पर निर्णित किया जाना उचित होने से धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षम्य किया जाकर अपील का निर्णय गुणावगुण के आधार पर किया जाना उचित पाते है ।

8. उभयपक्ष की बहस एवं प्रस्तुत तर्को से एवं अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय से यह तथ्य प्रकट है कि प्रार्थीगण अपीलांट द्वारा पूर्व में भी अधीनस्थ न्यायालय में माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया था जिसमें दिनांक 14.10.2024 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित किया जाकर अप्रार्थीगण को प्रार्थीगण के साथ मारपीट ना करने, उक्त मकान से प्रार्थीगण को नहीं निकालने, शांतिपूर्वक निवास करने एवं प्रार्थीगण के भरण पोषण, ईलाज की आवश्यकतानुसार व्यवस्था करने हेतु पाबंद करते हुए निस्तारण किया जा चुका था, प्रार्थीगण द्वारा आदेश दिनांक 14.10.2024 की सक्षम अपीलीय न्यायालय में अपील प्रस्तुत नहीं कर पुनः अधीनस्थ न्यायालय में ही पूर्व के तथ्यों के आधार पर ही प्रार्थना पत्र 09.12.2024 को प्रस्तुत किया गया है, जो निर्णय दिनांक 27.06.2025 से खारिज किया जा चुका है । प्रस्तुत अपील में अपने पुत्र एवं पुत्रवधु द्वारा अपीलांटगण को परेशान करने, मारपीट करने, शांतिपूर्वक निवास नहीं करने एवं भरण पोषण आदि की व्यवस्था नहीं करने से उनके स्वअर्जित मकान से बेदखल करने की प्रार्थना की है । इसके विपरीत वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा क्रॉस ऑब्जेक्शन एवं अपनी बहस में मुख्यरूप से यही कथन किया है कि वर्णित मकान पूर्व में कच्ची टापरीनुमा बना हुआ था, रेस्पोडेन्टगण ने ही मेहनत मजदूरी से रूपया एकत्रित कर उक्त कच्चे मकान को पक्के मकान में तब्दील किया और रेस्पोडेन्टगण छत पर बने एक कमरे में अपने परिवार सहित निवास करते है जबकि नीचे का ग्राउण्ड फ्लोर का पोर्शन प्रत्यर्थीगण के पास है । अपीलांट के पुत्र है इस नाते रेस्पो0 नं0 1 ने प्रार्थीगण अपीलांट का पूर्ण सहयोग किया है । वकील रेस्पोडेन्ट ने आगे यह भी तर्क दिया है कि प्रार्थीगण अपीलांट का सिंडीकेंट बैंक रामपुरा कोटा में बचत खाता है तथा प्रार्थीया अपीलांट के उक्त बैंक में 6,00,000/– रूपये की एफ.डी. करा रखी है सरकारी योजना के अनुसार प्रार्थीगण राशन का गेहूं, पेंशन प्राप्त कर रहे है तथा तथा भलीभांति घर का खर्चा चल रहा है, शांतिपूर्ण तरीके से मकान में निवास कर रहे है। वकील रेस्पोडेन्ट ने बैंक के खातों के सम्बन्ध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किये है ऐसी स्थिति में बैंक में एफ.डी. आदि तथ्य साक्ष्य के अभाव में स्वीकार योग्य नहीं है ।

➢ हमारा मानना है कि अपीलांटगण के तीन पुत्रीयां एवं एक पुत्र रेस्पोडेन्ट नं0 1 व रेस्पो0 नं0 2 पुत्रवधु है । पुत्रियों का विवाह हो चुका है केवल एक पुत्र एवं पुत्रवधु है जो उनके पास निवास करते है, यदि उन्हें भी उनके वर्णित मकान से बेदखल कर दिया जाता है तो आगे ओर वृद्वावस्था एवं बीमारी में उनका कोन ध्यान रखेगा इस बाबत अपीलांटगण ने कोई विचार नहीं किया एवं कोई अनुतोष नहीं चाहा है । प्रार्थीगण अपीलांट द्वारा पूर्व में अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 14.10.2024 को निर्णय पारित करते हुए अप्रार्थीगण रेस्पो0 को प्रार्थीगण अपीलांट के साथ मारपीट ना करने, उक्त मकान से प्रार्थीगण नहीं निकालने, शांतिपूर्वक निवास करने एवं प्रार्थीगण के भरण पोषण, ईलाज की आवश्यकतानुसार व्यवस्था करने हेतु पावंद किया गया था । इस अपील में अपीलांटगण ने रेस्पोडेन्ट की

बेदखली की प्रार्थना की है जो स्वीकार योग्य नहीं मानते है । अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 27.06.2025 में कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं पाते है ।

9. परिणामतः अपील अपीलांट स्वीकार करने के पर्याप्त एवं विधिक आधार पत्रावली पर उपलब्ध नहीं होने से अपील अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 27.06.2025 में कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं होने से यथावत रखा जाता है ।
10. निर्णय आज दिनांक 06.01.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(पीयूष समारिया)
जिला कलक्टर, कोटा

जिला कलक्टर
कोटा